

मणपुर में होने वाली 'अतरिकित न्यायिक हत्याओं' की जाँच

संदर्भ

उल्लेखनीय है कि विवादित 'सशस्त्र बल (वर्षीय शक्तियों) अधिनियम' के तहत अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा और सशस्त्र बलों को प्राप्त विशेषाधिकारों पर प्रहार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को वदिरोह के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्य मणपुर में पुलिसकर्मियों और सशस्त्र बलों द्वारा की गई 80 नागरिकों की हत्याओं की जाँच करने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अपने नरिणय में न्यायाधीश मदन.बी लोकर और यू.यू ललति की खंडपीठ ने केंद्र के इस तरक को खारजि कर दिया कि सशस्त्र बलों द्वारा कयि गए ये अपराध उचित हैं और उनकी जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- सरकार ने न्यायालय को यह आश्वासन दिया कि पीड़ितों के परिवारों को उनके परिवार के सदस्यों को खोने पर मुआवज़ा दे दिया गया था।
- सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि मणपुर की पुलिस ने इस प्रकार की हत्याओं की जाँच करने में लापरवाही बरती है तथा इसके लिये सरकार ने इस संवेदनशील राज्य के स्थानीय दबाव और सतही परिस्थितियों को ही ज़िम्मेदार ठहराया। सरकार के अनुसार, ये फरज़ी मुठभेड़ों के मामले काफी पुराने हैं।

न्यायालय की प्रतिक्रिया

- यदि कोई ऐसा अपराध कयि गया है, जिसमें ऐसे व्यक्तिकी मौत हुई हो, जो नरिदोष हो तो इसे अवश्य ही संज्ञान में लयि जाएगा।
- पीड़ितों के माता-पति और परिवार के सदस्यों ने 1,528 हत्याओं के लिये न्यायालय से जवाब-तलब कयि है। इन हत्याओं को 'अतरिकित न्यायिक हत्याएँ' (extra-judicial killings) कहा गया है। अतरिकित न्यायिक हत्याएँ उन हत्याओं को कहा जाता है जो कथित तौर पर पुलिस और केंद्र के सशस्त्र बलों की पोशाक में सामान्य कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं।
- सेना प्रमुखों के आज्ञापत्रों में भी इस सदिधांत को स्वीकार कयि गया है कि विरिधीरि कर्मियों द्वारा अत्यधिक बल अथवा जवाबी बल के परिणामस्वरूप होने वाली हत्याओं की पूर्ण जाँच होनी आवश्यक है।
- यदि मणपुर में कानून का उल्लंघन होता है तो केंद्र को आगे कदम उठाना होगा। क्योंकि राज्य इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है तथा समय को नष्ट कर रहा है। यह इस समय का उपयोग इन मामलों की जाँच करने में कर सकता है।
- न्यायालय पीड़ितों और जीवन व संपत्तिको खोने वाले व्यथित परिवारों की याचिकाओं को नज़रंदाज़ नहीं कर सकता है। न्यायालय का कहना था कि मुआवज़े की छोटी राशांभारे गए लोगों के परिवारों के कष्टों का नविरण करने के लिये पर्याप्त नहीं है।
- अब तक मणपुर के पुलिसकर्मियों के वरिद्ध कोई भी एफआईआर दर्ज कयों नहीं की गई थी? हालयि परिस्थितियों में यह उचित नहीं होगा कि हम भेदभाव रहति जाँच के लिये मणपुर पुलिस पर नरिभर हो जाएँ। यदि सीबीआई इन फरज़ी मुठभेड़ों और अत्यधिक अथवा जवाबी बलों के उपयोग की जाँच करती है तो यह नश्चिति ही एक अचछा कदम होगा।
- पीठ ने सीबीआई के नदिशक को पाँच अधिकारियों के एक समूह की नयिकृति करने का आदेश दिया है। यह समूह मामलों, आवश्यक सूचनाओं का रकिॉर्ड रखेगा तथा 31 दसिम्बर 2017 तक अपनी जाँच को पूरा करेगा। इसके अतरिकित जहाँ आवश्यक हो वहाँ यह समूह चार्जशीट भी तैयार करेगा।
- न्यायालय ने सीबीआई प्रमुख को दो सप्ताह के अंदर न्यायालय को जाँच की सूचना देने का आदेश दिया है।

अफसपा क्या है?

- संसद ने अफसपा को वर्ष 1958 में अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को वर्षीय शक्तियों देने के उद्देश्य से लागू कयि था। इस अधिनियम के तहत सेना के अधिकारियों और जवानों को अशांत क्षेत्रों में उनके द्वारा कयि जाने वाले कार्यों के लिये कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय सशस्त्र बल का कसि भी सदस्य पर अशांत क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का नरि्वहन करते हुए कसि भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- वर्तमान में अफसपा असम, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, मणपुर (इम्फाल के नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में लागू है।

